कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8235/2020 इमरता कुमारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III पद पर चयनोपरान्त याचिकार्थिया को रा.उ.प्रा.वि. वार्ड नं. 9 तवाव, ब्लॉक–जसवन्तपुरा, जिला–जालौर में नियुक्ति प्रदान की गई, जबकि याचिकार्थिया के पति राज्य सेवा में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर रा.प्रा.वि. इसरी तलाई कासली, पंचायत समिति–धोद, जिला–सीकर में कार्यरत है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पति–पत्नी प्रकरण (यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको एक ही जिले (स्टेशन) में कार्यरत किया जावें) के आधार पर पदस्थापन स्थान में संशोधन कर जालोर जिले के स्थान पर सीकर जिले में नियुक्ति प्रदान करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.09.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं बोर्ड द्वारा अभिस्तावित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन बाबत् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 15.11.2019 के अनुसार "निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जिलेवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस जिले को आवंटित किये जावेंगे। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना जिलेवार ही की जाती है। अतः जिले के चयन वर्गवार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियां, यथा–महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा–परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन वर्गवार एवं स्वयं के वर्ग की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाइट पर विकल्प पत्र आमंत्रित किये जाकर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटित किया जावें," के निर्देश दिए गए थे जिसके अनुसार ही जिला आवंटन किया गया है।

याचिकार्थिया का बोर्ड द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में वरीयता क्रमांक 3282, वर्ग एवं चयन वर्ग OBCF (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला) पर चयन किया जाना पाया गया। विभागीय नियमानुसार याचिकार्थिया को उसके वर्ग एवं चयेत् वर्गवार मेरिट के आधार पर उसके द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार 11वीं प्राथमिकता पर अंकित जालोर जिला आवंटित किया गया। याचिकार्थिया के विकल्प पत्र में प्रथम दस प्राथमिकताओं पर अंकित जिलों में याचिकार्थिया के समान वर्ग एवं चयन वर्ग OBCF (अन्य पिछड़ा वर्ग महिला) में अंतिम आवंटित अभ्यर्थी का वरीयता क्रमांक क्रमशः सीकर–465, नागौर–1290, झुन्झुनू–855, चूरू–873, जयपुर–593, दौसा–1287, अलवर–2152, अजमेर–1098, टोंक–1462 तथा भीलवाड़ा–2625 है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में याचिकार्थिया से संबंधित वर्ग एवं चयन वर्ग OBCF (अन्य पिछडा वर्ग महिला) में याचिकार्थिया से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थिया को आवंटित जालोर जिले से पूर्व उसके विकल्प पत्र में अंकित जिला नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

याचिकार्थिया द्वारा पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर पदस्थापन स्थान में संशोधन कर जालोर जिले के स्थान पर सीकर जिले में नियुक्ति प्रदान करने की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा–2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 17(11) शिक्षा–2/अन्तरमण्डल स्था./2016 पार्ट–1 जयपुर, दिनांक 20.07.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति–पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश अंकित नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति–पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसलिंग में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is

the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते हैं।

अतः याचिकार्थिया द्वारा पदस्थापन स्थान में संशोधन कर जालोर जिले के स्थान पर सीकर जिले में नियुक्ति प्रदान करने की मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/12998/2020 दिनांकः– 26.10.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक, जालोर
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रारम्भिक, सीकर
7. याचिकार्थी इमरता कुमारी पुत्री श्री तनसुख राय, रा.उ.प्रा.वि. वार्ड नं. 9 तवाव, ब्लॉक–जसवन्तपुरा, जिला–जालौर (रजिस्टर्ड)
8. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)